



FORM No. III

(1)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम अलवर
 हरपाल सिंह बनाम हरविन्दर सिंह उर्फ बबलू शर्मा
 किस्म मुकद्मा क्र. पत्र 212 अलवर नं. सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/1/23	<p>आज महे श्रम पत्र कार्यालय रिपोर्ट लेम् पेय। वकील प्रार्थी के सुना गया। प्रमाण का अवलोकन किया। प्रार्थी का श्रम पत्र प्रथम दृष्टया साबित है तथा सुविधा का अनुदान भी प्रार्थी के पत्र में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अस्थायी निवेधाना-चक्र श्रेणी के अग्रार्थीगण के पाबंद किया जाता है कि वे क्रम सं 193, 194, 206, 206/351 वर्ष 0.22, 0.48, 0.12, 0.17 मांजा दाऊदपुर तहसील-अलवर में प्रार्थी के कठे कातर के अकाबत और मजादमर पैदा ना करे। आगामी लग चेकी तक मॉर्चे व रिमार्स की अथास्थिति बनाये रहे।</p> <p>स्पेका महे अतिथि अलवर के निर्णय तक सम्पूर्ण कर दिया जाने। कोई अग्र हरे मांजालय में उपस्थित होकर पेय करे।</p> <p>प्रमाण उक्त पंक्ति है। अग्रार्थीगण के अर्ज नैतिक तत्त्व कर दि० 27/2/23 के पेय हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अलवर </p> <p>27-2-23 पत्रावली पेदा हुई। उमय पक्ष उप० पीअरमीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक... 27/2/23 को पेश हो।  रीडर </p>

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
-----------------------	--

15-3-23

४॥ ३७५०
 पाभला पत्र
 आवाहक
 टा. ३११
 १०३
 पाभला टा. ३११

१५/३/२३
 गडग
 जज

पतावली आज पूर्व निर्धारित तारीख के
 से पूर्व उर्वर/वकील उर्वर के उर्वर-पत्र पर
 तलक की गई जा. पत्र के अंकन अनुसार
 उर्वर अपने उर्वर-पत्र को आज नहीं पत्र
 पाहता है उपरोक्त उर्वर पत्र को आज ही
 विज्ञापन पाहता है विज्ञापन की
 अनुमति उर्वर करे।
 उर्वर की उर्वर को उर्वर
 उर्वर के उर्वर के उपरान्त उर्वर की
 उर्वर पत्र उर्वर उर्वर की
 उर्वर पत्र २१२ विज्ञापन की उर्वर
 उर्वर पत्र उर्वर उर्वर की उर्वर
 उर्वर उर्वर उर्वर पर उर्वर
 उर्वर उर्वर उर्वर उर्वर
 उर्वर उर्वर उर्वर उर्वर

2
 उपखण्ड अधिक
 अलवर